मु .नं. 12/2023

08.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप.। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को बार–बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेद किया कि मौजा गुन्दाऊ पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 1451 रकबा 1.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1438 रकबा 8.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 1.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 5.91 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल रकबा 17.52 हैक्टयर में प्रार्थी के 1/8 हिस्से में भूमि आयी हुई है। जिसका विधिवत विभाजन होना शेष है। राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाति है। कण–कण में प्रार्थीया का हक हिस्सा मौजूद है। इसी अनुसार मौके पर माठ कायम है। लेकिन संयुक्त भूमि दर्ज भूमि का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण 1 ता 6 हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर भूमि हड़पना चाहते है। माठों को तोड़कर अपने हिस्से में मिलाकर कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा कर मौके पर मौजूद माठों को परिवर्तन कर अजनबी व्यक्ति को विशेष भू–भाग बैचान कर मौके पर विशेष भू–भाग पर कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते है। मना करने पर नही मानते है झगड़ा करते है। पक्षकरों के बीच मुकदमें बाजी हो चुकी है। इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूला वाद ताफैसला पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों के बीच मुकदमें बाजी होकर विवाद होना प्रकट होता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा गुन्दाऊ पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 1451 रकबा 1.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1438 रकबा 8.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 1.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 5.91 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल रकबा 17.52 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner